

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :- 205/2020 उपखण्ड

प्रशासन गांव के संग अभियान-2021

श्रीमति नन्द कंवर 40 कर्गसिंह राजपूत सि० खानखेड़ा-करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

कर्गसिंह 510 कर्गसिंह राजपूत सि० गोपा श्री प्रभोरी-करेडा-40
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 7/12/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत
द्वारा दन किया कि ग्राम भैरव खेड़ा पटवार हल्का मिर्जापुरा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त
खाता संख्या 76 आराजी नम्बर 973/626 1029/626
3.00 बीघा / 2.00 बीघा

कुल किता 2 रकबा 5.00 बीघा

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने
दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की
पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7/12/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते
गैक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
भैरव खेड़ा पटवार हल्का मिर्जापुरा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या
जी नम्बर 973/626 1029/626
3.00 बीघा / 2.00 बीघा

कुल किता 2 रकबा 5.00 बीघा

पत्थर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-
निरीक्षक मिर्जापुरा को 6000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया
। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की
में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर
की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला



- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निम्नानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा